प्रेषक,

सं0 698 /XXIV(1)/2018-20/2018

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक) **देहरादूनः दिनांकः 03 अगस्त, 2018**

विषयः माध्यमिक स्तर पर संचालित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (एन0टी0एस0ई0) छात्रवृत्ति में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों से शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एस0सी0ई0आर0टी0/1983/शो0मू0-06(1)/2018-19 दिनांक 25.07.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (एन0टी0एस0ई0) का संचालन प्रतिवर्ष किया जाता है तथा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (प्रथम चरण) में राज्य हेतु निर्धारित कोटे के अन्तर्गत चयनित छात्र-छात्राओं को एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा आयोजित द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह माना जाता है। एन0सी0ई0आर0टी0 की वेबसाईट में एन0टी0एस0ई0 की परीक्षा 2019 के सूचनापत्रक के बिन्दु संख्या-3.1.4 में यह व्यवस्था है कि ''राज्य सरकार एन0टी0एस0ई0 परीक्षा हेतु शुल्क निर्धारित कर सकती है।''

3. उत्तराखण्ड राज्य में इस छात्रवृत्ति परीक्षा में अत्यधिक नामांकन होने के कारण आवेदन पत्रों का मुद्रण, प्रश्न पुस्तिकाओं एवं ओ0एम0आर0 का मुद्रण किये जाने पर अत्यधिक धनराशि का व्यय हो रहा है। वित्तीय संसाधनों में कमी के कारण इस परीक्षा के निःशुल्क संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अतः परीक्षा के सफल संचालन हेतु एन0टी0एस0ई0 की परीक्षा 2019 के सूचनापत्रक के **बिन्दु संख्या-3.1.4 फीस**, में उल्लिखित व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा सम्पादित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज (प्रथम चरण) की परीक्षा में आवेदन हेतु निजी विद्यालय के छात्रों के लिये निम्नवत् शुल्क का निर्धारण किये जाने पर सहमति व्यक्त की जाती हैः-

सामान्य/अन्य श्रेणी विद्यार्थी	-	**रू0 200/- (रू0 दो सौ)**
एस0सी0/एस0टी0/दिव्यांग विद्यार्थी	-	**रू0 100/- (रू0 सौ)**

4. राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को उक्त फीस से छूट प्रदान की जाती है तथा ऐसे छात्र-छात्राओं

Scanned by CamScanner

को आवेदन पत्र का वितरण सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा यथावश्यकतानुसार किया जायेगा।

5. आवेदन पत्रों से प्राप्त शुल्क का उपयोग राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के संचालन हेतु ही किया जायेगा।

6– आवेदन पत्रों से प्राप्त शुल्क से प्राप्त आय–व्यय का विवरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सॅख्या–11(म.)/XVII(3)/2017–18 दिनांक 03.08.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

सं0 698 (i)/XXIV(1)/2018–20/2018/ तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
2– महालेखाकार (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
3–समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
4–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5–निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
6–समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
9–एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर,देहरादून।
10–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र जोशी)
उप सचिव

Scanned by CamScanner